राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

क्रमांक : एफ.20(101/127/2024)लोसू/आकाशि/2005/1876 दिनांक : 27-11-2024

आदेश

मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के पत्र क्रमांक प.19(2)प्रसू/सूअप्र/2015 दिनांक 13.11.2024 द्वारा जारी संलग्न परिपत्र में निर्देशित किया गया है कि –

प्रकरण में राजस्थान राज्य सूचना आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अधिकांश प्रकरणों में समय–समय पर शास्ति अधिरोपित की जाती है, इस सम्बन्ध में उक्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 16.12.2010, 25.04.2014 एवं 08.10.2021 में दिये गये स्पष्ट निर्देशों के उपरान्त भी शास्ति की राशि सूचना आयोग के कोष में जमा नहीं कराई जाने से शास्ति राशि बकाया चल रही है, जिसे गम्भीरता से लिया जा रहा है। उक्त विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ विभाग/कार्यालय/विभागाध्यक्षों को सूचना देने के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

1. राज्य लोक सूचना अधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों के द्वारा चाही गई सूचनाऐ नियमानुसार समयावधि में आवश्यक रूप से प्रदान की जावे, जिससे प्रार्थी को प्रथम/द्वितीय अपील करने की आवश्यकता न पड़े।
2. लोक प्राधिकारी प्रथम अपीलों पर सकारात्क रूप से विचार करते हुए अविलम्ब निस्तारित कर सूचना प्रदान करें, जिससे आयोग में द्वितीय अपील/परिवाद करने पर शास्ति के प्रकरण कम से कम हों।
3. राज्य लोक सूचना अधिकारी की राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपीलों/परिवादों में नियत सुनवाई तिथि को आयोग में उपस्थिति सुनिश्चित करावें। राज्य लोक सूचना अधिकारी के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।
4. राज्य सूचना आयोग द्वारा शास्ति एवं क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित होने पर उक्त विभागीय परिपत्रों के अनुसार सम्बन्धित राज्य लोक सूचना अधिकारी के वेतन से कटौती करवाकर राजस्थान सूचना आयोग के कोष में जमा कराये जाने की कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित करावें।
5. परिपत्र के अनुसार पालना सुनिश्चित करावे साथ ही पोर्टल पर नियमानुसार सूचनाएं अद्यतन करावे।

अतः उक्त परिपत्र की कठोरता से पालना सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान के समस्त राजकीय महाविद्यालयों/संयुक्त निदेशक/वित्तीय सलाहकार/उप विधि परामर्शी/आहरण वितरण अधिकारी पालना सुनिश्चित करावें।

संलग्न ! परिपत्र

(प्रो. अनिल कुमार यादव)
SPIO एवं संयुक्त निदेशक, प्रशासन (समन्वयक)

क्रमांक : एफ.20(101/127/2024)लोसू/आकाशि/2005/1876 - 1884 दिनांक : 27-11-2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ), जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.19(2)प्रसू/सूअप्र/2015 दिनांक 13.11.2024 के संदर्भ में।
2. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं समस्त संयुक्त निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर।
3. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर।
4. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपविधि परामर्शी, कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर।
5. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं आहरण वितरण अधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर।
6. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
7. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय(विधि महाविद्यालयों सहित),राजस्थान।
8. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करें।
9. रक्षित पत्रावली।

Signature valid
Digitally signed by Anil Kumar Yadav
Designation : Joint Director
Date: 2024.11.27 11:41:26 IST
Reason: Approved

SPIO एवं संयुक्त निदेशक, प्रशासन (समन्वयक)

File : Latter First

RajKaj Ref No.: 12038635

(ID No.) 768 (SPS/CCE)

(Date) 25/11/24

आज़ादी का अमृत महोत्सव

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा
राज.....जयपुर
क्रमांक 304
दिनांक 22/11/24

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)

सूचना का अधिकार RIGHT TO INFORMATION

कमांक प. 19(2)प्रसू/सूअप्र/2015 जयपुर, दिनांकः 13-11-2024

परिपत्र

राजस्थान राज्य सूचना आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत विभागों के राज्य लोक सूचना अधिकारियों पर समय-समय पर शास्ति अधिरोपित की जाती है। परन्तु यह ध्यान में आया है कि अधिकांश प्रकरणों में राज्य लोक सूचना अधिकारियों द्वारा इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 16.12.2010, 25.04.2014 एवं 08.10.2021 में दिये गये स्पष्ट निर्देशों के उपरांत भी शास्ति की राशि सूचना आयोग के कोष में जमा नहीं कराई जाने से विभिन्न विभागों के राज्य लोक सूचना अधिकारियों पर आयोग द्वारा लगाई गई शास्ति की राशि बकाया चल रही है, जिसे गम्भीरता से लिया जा रहा है।

समस्त प्रशासनिक विभागों के सचिव एवं विभागाध्यक्षों को अपने विभाग एवं अधीनस्थ विभाग/कार्यालय/निगम/बोर्ड/आयोग/स्वायत्तशाषी संस्थाओं की सूचना देने के संबंध में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है:-

1. राज्य लोक सूचना अधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों के द्वारा चाही गई सूचनायें नियमानुसार निर्धारित समयावधि में आवश्यक रूप से प्रदान की जावे, जिससे कि प्रार्थी को प्रथम/द्वितीय अपील करने की आवश्यकता न पड़े।
2. लोक प्राधिकारी प्राप्त प्रथम अपीलों पर सकारात्मक रूप से विचार करते हुए अविलम्ब निस्तारित कर सूचना प्रदान करें, जिससे कि राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील/परिवाद करने पर शास्ति के प्रकरण कम से कम हों।
3. राज्य लोक सूचना अधिकारी की राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपीलों/परिवादों में नियत सुनवाई तिथि को आयोग मे उपस्थिति सुनिश्चित करावें। राज्य लोक सूचना अधिकारी के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।
4. समस्त प्रशासनिक विभागों के सचिव एवं विभागाध्यक्ष राज्य सूचना आयोग द्वारा शास्ति एवं क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित होने पर उक्त विभागीय परिपत्रों के अनुसार संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी के वेतन से कटौती करवाकर राजस्थान राज्य सूचना आयोग के कोष में जमा कराये जाने की कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित करावें।

उक्त परिपत्र की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावे।

Sudhansh Pant
(सुधांश पंत)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव एवं विशिष्ट शासन सचिव।
5. समस्त विभागाध्यक्ष-अपने नियंत्राणाधीन विभाग/कार्यालय/बोर्ड/निगम आदि के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करावें।
6. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
7. सचिव, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

Sudhansh Pant
मुख्य सचिव

1077
26/11/24